बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संoसंo–लoसिंoमोo– J.J.H. बैठक–330/2019– 1087 (मो0) /पटना, दिनांक–03/6/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह संयोजक,
'जल–जीवन–हरियाली अभियान'–जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति,
बिहार।

विषयः–**लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत जल–जीवन–हरियाली योजनाओं में Duplicacy रोकने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आपके जिले में लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान की योजनायें क्रियान्वित हो रही है। इन योजनाओं में Water Bodies के Renovation का कार्य कराया जा रहा है। Water Bodies के Renovation का कार्य मनरेगा तथा दूसरे विभाग से भी कराया जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही योजना पर अन्य विभागों से भी कार्य कराने की सम्भावना बनी रहेगी।

इस तरह की Duplicacy को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं की सूची कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एंव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिलास्तर के पदाधिकारियों को भी दे दी जाय तथा इन योजनाओं पर कार्य नहीं कराने हेतु उन्हें निदेशित किया जाय।

लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही योजनाओं की सूची संलग्न की जा रही है। यह सूची लघु जल संसाधन विभाग के Web Portal- www.minorirrigation.gov.in पर भी उपलब्ध है। लघु जल संसाधन विभाग के पोर्टल पर आपके लिए भी DM- Dashboard है, जिसमें आपके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, प्री–लेवल, डी0पी0आर0, मापी–पुस्त (MB), निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन देखी जा सकती है। समय–समय पर उक्त पोर्टल पर आपके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन भी अपलोड किया जा सकता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
03/6/2020
(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1087 (मो0) /पटना, दिनांक–03/6/2020

प्रतिलिपि–सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/6/2020
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-\MAY-2020\ALL D.M-STOP DUPLICACY-29-05-2020..DOCX

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 338 (गो०) पटना, दिनांक– 4/3/2020

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उपाय।

महाशय,

जल–जीवन–हरियाली अभियान के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन आपके नेतृत्व में किया जा रहा है।

2. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत अनेकों योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का चयन, कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के उपरान्त समुचित उपयोग आपके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

3. योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त एवं उसके आगे के किस्तों की विमुक्ति के पूर्व, कार्यपालक अभियंता, लघु जल प्रमंडल द्वारा तैयार की गई अधियाचना पर आपके प्रतिहस्ताक्षर की व्यवस्था स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यान्वयन के हर चरण में आप अपने अधीनस्थ अन्य विभागीय कर्मियों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन का तटस्थ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराते रहेगें, ताकि प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य हो सके और जो संचरना सृजित हो रही हैं, उनसे जनसाधारण को लाभ हो सके एवं जल–जीवन–हरियाली अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

4. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु निम्नवत् अग्रेत्तर कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है :–

(i) <u>प्राक्कलन की प्रति ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना</u> :– कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को यह निदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक प्राक्कलन की एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें। यह प्रति जनसाधारण द्वारा देखा जा सकता है। यह भी निदेश दिया गया है कि लिखित रूप से कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को भेजें ताकि ग्राम पंचायत प्राक्कलन के प्रावधानों से अवगत हो सके एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक अनुश्रवण हो सके। यह भी अपेक्षा है कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जानकारी पंचायत को हो जाने से मनरेगा एवं अन्य किसी योजना में दोहरा कार्य नहीं हो, इसे सुनिश्चित कर सके।

अनुरोध है कि इस व्यवस्था को लागू कराया जाए एवं इसका सतत् अनुश्रवण किया जाए।

(ii) <u>योजनाओं की सूची की पुस्तिका बनाना</u> :– कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को यह निदेश दिया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2018–19 में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की पुस्तिका तैयार करके आपके माध्यम से जिले के सभी माननीय सांसद, माननीय विधान सभा सदस्य एवं माननीय विधान परिषद् सदस्यों, जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पंचायत समिति के प्रमुखों को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि वे अवगत हो सकें कि इस अभियान के अन्तर्गत कौन–कौन सी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

(iii) <u>योजना स्थल पर सूचना पट लगाना</u> :– विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक येाजना स्थल पर सूचना पट लगायें। सूचना पट का मानक उन्हें संसूचित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि निरीक्षण के क्रम में

1231

यह दिखवाया जाये कि प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट प्रदर्शित है, जिसमें योजना के मुख्य प्रावधानों के अलावा प्राक्कलित राशि आदि सभी विशेषताएँ अंकित करने का निर्देश है।

(iv) **निधि विमुक्ति की अधियाचना प्रतिहस्ताक्षरित करने के पूर्व योजनाओं की तटस्थ जाँच** :– चूँकि यह प्रावधान किया गया है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभाग से निधि की अधियाचना प्रेषित करने के पूर्व आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आपके प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही निधि की अधियाचना विभाग द्वारा विचार की जाएगी। आपसे यह अपेक्षा है कि अधियाचना पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व योजनाओं की जाँच अपने अधीनस्थ अन्य पदाधिकारियों यथा – अन्य विभागों के अभियंताओं, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता आदि के माध्यम से करवाई जाए ताकि कार्यपालक अभियंता के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों का तटस्थ सतत् मूल्यांकन होता रहे। ऐसा करने से योजना के खुलापन एवं पारदर्शिता में और बेहतरी हो सकेगी।

(v) **वेबसाईट के बारे में जनसाधारण को जानकारी का प्रेषण:–** विभागीय वेबसाईट http://minorirrigation.bihar.gov.in/ पर सभी योजनाओं की सूची एवं प्राक्कलन के मुख्य प्रावधानों का विवरण दिया गया है, जो सतत् तौर पर अद्यतन किया जाता है।

(vi) **DM Dashboard** : लघु जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वयन की जा रही जल जीवन हरियाली योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग के क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा प्रविष्टि की जाती है। योजनाओं के Pre-level, MBs, वरीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, आवंटन, व्यय का विवरण रहता है।

आपसे अनुरोध है कि आप भी इसका पर्यवेक्षण करें। आपका Login Id/Password तथा Flowchart भी साथ में संलग्न है।

1230

आपसे अनुरोध है कि इस वेबसाईट के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि जागरूक नागरिक इससे सूचनाएँ प्राप्त करके आवश्यक अनुश्रवण कर सके।

विश्वासभाजन

4.3.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

L215

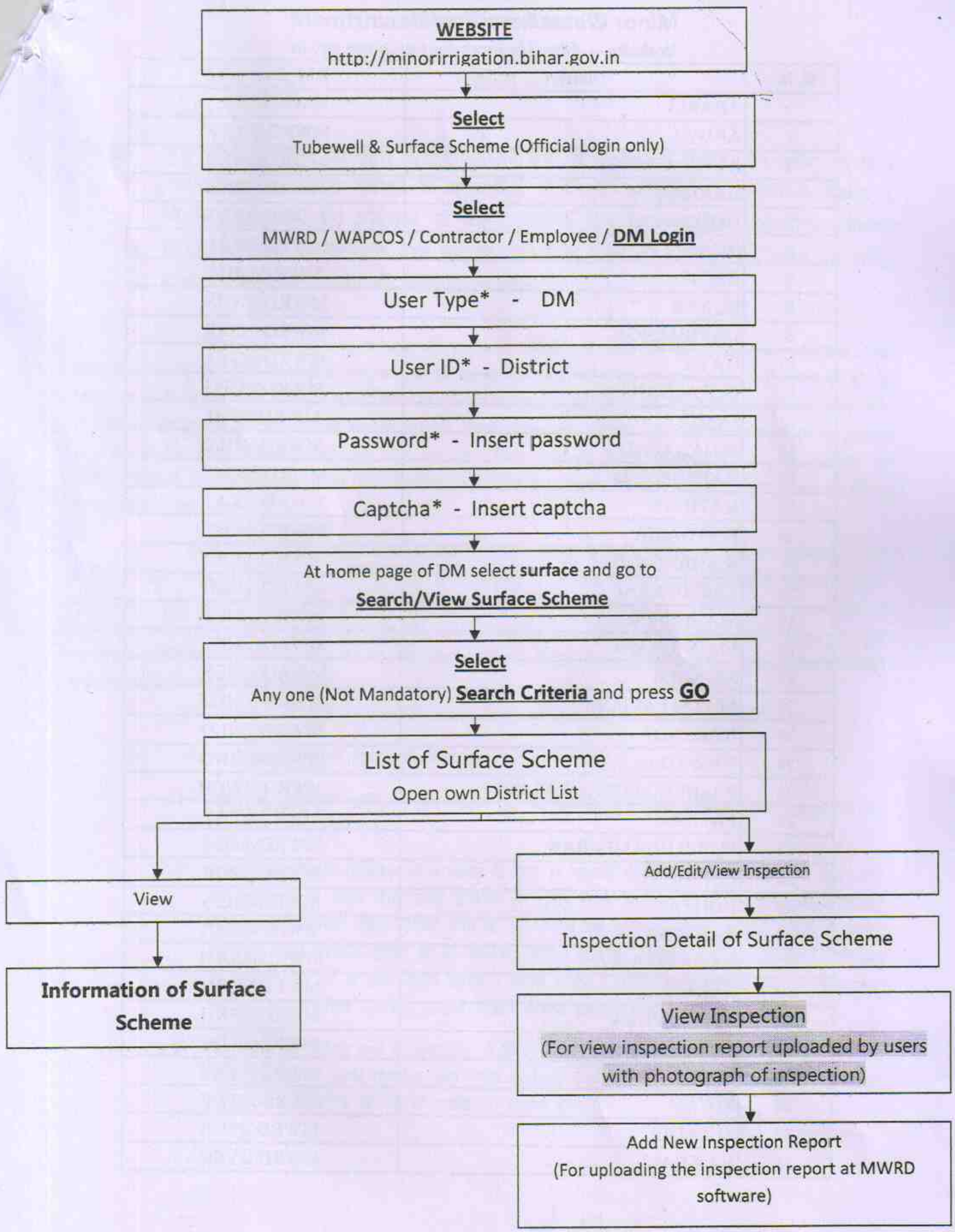
WEBSITE
http://minorirrigation.bihar.gov.in
Select
Tubewell & Surface Scheme (Official Login only)
Select
MWRD / WAPCOS / Contractor / Employee / DM Login
User Type* - DM
User ID* - District
Password* - Insert password
Captcha* - Insert captcha
At home page of DM select surface and go to
Search/View Surface Scheme
Select
Any one (Not Mandatory) Search Criteria and press GO
List of Surface Scheme
Open own District List
View
Information of Surface Scheme
Add/Edit/View Inspection
Inspection Detail of Surface Scheme
View Inspection
(For view inspection report uploaded by users with photograph of inspection)
Add New Inspection Report
(For uploading the inspection report at MWRD software)

Minor Water Resources Depatrtment

Website-----http://minorirrigation.bihar.gov.in

Sl. No.	District	DM_Password
1	ARARIA	MWRD@ARA
2	ARWAL	MWRD@ARW
3	AURANGABAD	MWRD@AUR
4	BANKA	MWRD@BNK
5	BEGUSARAI	MWRD@BEG
6	BHAGALPUR	MWRD@BGL
7	BHOJPUR	MWRD@BJP
8	BUXAR	MWRD@BUX
9	DARBHANGA	MWRD@DAR
10	GAYA	MWRD@GYA
11	GOPALGANJ	MWRD@GPG
12	JAMUI	MWRD@JMI
13	JEHANABAD	MWRD@JHN
14	KAIMUR	MWRD@KMR
15	KATIHAR	MWRD@KAT
16	KHAGARIA	MWRD@KHG
17	KISHANGANJ	MWRD@KSH
18	LAKHISARAI	MWRD@LKH
19	MADHEPURA	MWRD@MDP
20	MADHUBANI	MWRD@MDB
21	MUNGER	MWRD@MGR
22	MUZAFFARPUR	MWRD@MUZ
23	NALANDA	MWRD@NLD
24	NAWADA	MWRD@NWD
25	PASHCHIM CHAMPARAN	MWRD@WCH
26	PATNA	MWRD@PAT
27	PURBI CHAMPARAN	MWRD@ECH
28	PURNIA	MWRD@PUR
29	ROHTAS	MWRD@RTS
30	SAHARSA	MWRD@SAH
31	SAMASTIPUR	MWRD@SAM
32	SARAN	MWRD@SRN
33	SHEIKHPURA	MWRD@SKH
34	SHEOHAR	MWRD@SHE
35	SITAMARHI	MWRD@STM
36	SIWAN	MWRD@SWN
37	SUPAUL	MWRD@SUP
38	VAISHALI	MWRD@VSH

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:- जल-जीवन-हरियाली अभियान के संचालन एवं इस पर होनेवाले ₹ 24524.00 करोड़ (दो खरब पैंतालीस अरब चौबीस करोड़) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति एवं लक्ष्यों के निर्धारण, नियमित अनुश्रवण एवं अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन के गठन की स्वीकृति तथा इस पर होने वाले ₹ 23.39 करोड़ (तेईस करोड़ उनचालीस लाख) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू-गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है । दक्षिणी बिहार के साथ-साथ उत्तरी बिहार में भी भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है । इस आपदाजनक स्थिति पर दिनांक 13.07.2019 को बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में विधान मंडल के माननीय सदस्यों की संयुक्त बैठक में विमर्श किया गया । इसमें प्राप्त सुझावों एवं परामर्शों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस अभियान को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए संचालित किये जाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नोडल विभाग नामित किया गया है ।

2. उद्देश्य :- बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के समन्वय से जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन किया जाना है ।

इस योजना के अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न है ।

3. योजना के अनुश्रवण एवं परामर्श की व्यवस्था :-

3.1 जल-जीवन-हरियाली अभियान का बिहार विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन किया जायेगा ।

3.2 जल-जीवन-हरियाली अभियान के संचालन के क्रम में परामर्श हेतु राज्य स्तर पर संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य परामर्शदातृ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा मनोनीत बिहार विधान सभा के 15 सदस्य एवं सभापति, बिहार विधान परिषद के द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद के 05 सदस्य, विकास आयुक्त, बिहार, जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव इसके सदस्य होंगे । अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे ।

3.3 जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला परामर्शदातृ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला पदाधिकारी इसके संयोजक तथा जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य एवं जिला स्तर के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी सदस्य होंगे ।